Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF
Casu No. 183 D wilder after a more casusers. Name and address of the Complanting.
Name, parentage, caste and address of accused
1र्नरिव ही जावलेश धर्मा उन उउमान
10 31010165
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने विनोक 23/69/17 को समय सगमग 1'क्ट बजे, स्थान गोलिंद ज्ञा है। अलगेत थाना जा है। को समय सगमग 1'क्ट बजे स्थान के वलाया और किया है जो कि मोटर की कल एक्ट की धारा 129/17 के तहत दण्डनीय अपराध है जो है। व्या आपको उस्त अपराध स्वीकार है या प्रतिस्था चाहते हो।
The plea of the accused and his examination (Unarya Oblas is in Shind IM.P.)
उपराध स्रोक्ताय है।
1/2
Audicial Magnesage First Class Coball dist physicaer?
The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) classe(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक २.३ ६५ /).... को घोषित)

ा. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की
वारा , 129/17)
दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई
पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जिर्देश है। विविधि की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जिर्जि । जिल्लिय सम्म
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/17) को तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमषः राशि रूपये मार्गि
कुल 100 - रूठ () के
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को 10 दिवस की
अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन क्र MP 30 MP 4 को
उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकिट Ostero Judicial-Magustate Front Class